

मन्दीरी नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Hemw Nandan Bahuguna Garhwal University,Srinagar(Garhwal),Uttarakhand-246174
(A Central University)

ठाठ० ए० क००७

कुलसचिव

Dr. A.K.Jha

Registrar

मन्दीरी
मन्दीरी
२१/८/११



दूरभाष (01346)-252143,252167,252170

फैक्स (01346)-252174,252247

वेबसाइट - Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक-मान्यता/4042

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी,
टिहरी गढ़वाल।

महोदय,

राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल में स्थाई सम्बद्धता में संचालित कला, विज्ञान एवं वाणिज्य साकार्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों में सीटों की संख्या के निर्धारण हेतु करवाये गये निरीक्षण समितियों की सरतुतियों दिनांक 15.07.2015 एवं 16.07.2015 के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार निम्नवत् विषयों के सम्मुख अकित सीटों की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

बी०४०-हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र— 120-120सीट (60-60सीट के दो-दो सेक्सन)

बी०४०-संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, गणित, सैन्यविज्ञान, मानवविज्ञान, सांख्यिकी— 80-80सीट

एम०४०-हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी— 30-30सीट

20-20सीट

बी०४४-सी०-भीतिकविज्ञान, गणित—

80-80सीट

बी०४४-सी०-जन्मुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान—

160-160सीट

बी०४४-सी०-रसायनविज्ञान—

240सीट

बी०४४-सी०-सांख्यिकी, भूगर्भविज्ञान, मानवविज्ञान, सैन्यविज्ञान— 60-60सीट

एम०४४-सी०-भीतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जन्मुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, सांख्यिकी, भूगर्भविज्ञान, मानवविज्ञान, सैन्यविज्ञान— 20-20सीट

एम०४४-सी०-गणित—

30सीट

बी०काम०— 80 सीट

एम०काम०—30 सीट

मवदीय

ए० क० झा

कुलसचिव

ए० क० झा

कुलसचिव

प्रतिलिपि— 1. उप कुलसचिव परीक्षा।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. गाड़ फाईल।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बाधशाहीथाल (टिहरी गढ़वाल) - 249199

Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) - 249199
Camp Office - Dehradun

Ref no. SDSUv/CO/ (228)



कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल (जनपद चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिहार, कुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी) में स्थित समस्त राजकीय महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, कि शासनादेश सं0-02 / XXIV(7)/2017 दिनांक 10-अगस्त-2017, के द्वारा उनकी सम्बद्धता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से की गई है, जिसके आलोक में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र-2018-19 से, समस्त महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में समस्त विषयों के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर, में प्रवेश श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के तहत पूर्ण निर्धारित सीटों (जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में अनुमन्य थी) के अनुसार किये जायेंगे। महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय की निर्देशिका में संलग्न है।

प्रतिलिपि-

1. निजी संचिद माठ कुलपति को माठ कुलपति महोदय के सूचनाथ।
2. गाँड़ काँड़।



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
 Badshahithaul, Tehri Garhwal-249 199

Tel. : 01376 – 254065 (C)
 Fax : 01376 – 254065
 Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक : ३७५९ /SDSUV/Admin /2022

दिनांक ०८-०८-२०२२

कार्यालय ज्ञाप

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल के परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों/निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किये जाने हेतु विषय संयोजन एवं अन्य व्यावसायिक/कौशल विकास कोर्स निर्धारण/संयोजन के साथ-साथ प्रवेश नियम निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की आख्या विश्वविद्यालय को प्राप्त होने एवं तत्क्रम में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सामान्य निर्देश सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सार्वजनिक की जाती है।

(के०आर० भट्ट)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि:-

- 1- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ ।
- 2- समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/निजी स्ववित्तपोषित संस्थानों/अशासकीय महाविद्यालयों के सूचनार्थ ।
- 3- परीक्षा नियंत्रक ।
- 4- वरिष्ठ वित्त अधिकारी ।
- 5- विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
- 6- कार्यालय प्रति ।
- 7- प्रान्तर्व प्र० त्र० मेा अन्तर्विता।

(के०आर० भट्ट)
कुलसचिव।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी
(उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय)



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

सामान्य दिशा निर्देश

विषय संयोजन एवं अन्य व्यवसायिक/कौशल विकास कोर्स
निर्धारण/संयोजन के साथ-साथ प्रवेश नियम निर्धारण समिति

1. डॉ० डी० सी० गोस्वामी, संकायाध्यक्ष कला
विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश (संयोजक)
2. डॉ० सुमिता श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञान विभाग
विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश (सह-संयोजक)
3. डॉ० आर०एम० पटेल, संकायाध्यक्ष वाणिज्य
विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश (सदस्य)
4. डॉ० वी०डी० पाण्डेय, वनस्पति विज्ञान विभाग
विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश (सदस्य)
5. डॉ० धर्मेन्द्र कुमार, वाणिज्य विभाग
विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश (सदस्य)
6. डॉ० डी०के०पी० चौधरी, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग
विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश (सदस्य सचिव)

४५

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी
(उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय)

परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु दिशा निर्देश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना
एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022-23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुसंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित प्रारूप पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश एवं अन्य संबंधित विषयगत बिंदुओं के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस दिशा निर्देश का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

विश्वविद्यालय परिसर तथा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे :

- 1.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमोंकार्यक्रमों (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.आदि) में च्वाइस बेर्सड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 1.2 स्नातक (शोध सहित) बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. आदि एवं स्नातक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में च्वाइस बेर्सड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।
- 1.3 बी.ए. आनर्स, बी.एस.सी. आनर्स, बी.कॉम. आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेर्सड क्रेडिट (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।
- 1.4 पी.एच.डी. कार्यक्रमों में नवीन व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगी।
- 1.5 स्नातक/स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021- 22 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति तथा परिसर में संचालित सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्यापन और परीक्षा पूर्ववत ही संपादित होगी।

३३.
प्रधानमंत्री

११

2. पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्ट्यू) एक माझनर इलेक्ट्रिच पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्ट्यू) विषय, एक माझनर इलेक्ट्रिच पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्ट्यू) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माझनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के पश्चात अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किंतु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिवरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3. प्रवेश

सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर/महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। परिसर/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दे सकेंगे। प्रवेश, अहंता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर परिसर/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे।

—
—
—

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता (Pre-requisite)

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

3.2 तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

3.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

3.6 मेजर/माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

3.7 बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।

3.8 तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का घयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।


प्रौद्योगिकी विभाग
प्राचीन विद्यालय



किसी संस्था में एक ही संकाय की स्थिति में अथवा संस्थान के स्तर पर अपने संस्थान के अन्य विभाग से लिया जा सकता है। माइनर इलेक्टिव कोर्स ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

3.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

3.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवांटित कर सकता है। तृतीय, पांचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

3.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

3.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जायेगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी पशीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

4. पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों (समूह अ, समूह ब तथा समूह स) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2022-23 हेतु प्रभावी होंगे। आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Hindi	Drawing and Painting	Economics
English	Home Science	History
Sanskrit	Education	Political Science
	Geography	Philosophy
	Music	Sociology
	Psychology	
	Military & Defence Studies	
	Anthropology	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन प्रमुख/मैंजर (02 कोर ये एक 01 इलेक्टिव) विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप

से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

किसी एक ही समूह के दो मेजर कोर लेने के पश्चात् मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अन्त संकाय से लिया जाएगा। विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन मेजर कोर के रूप में कर सकता है। किसी एक समूह से तीन प्रमुख/मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। अतः विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

विज्ञान संकाय –

समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में भी अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों में विभाजित करते हुए विज्ञान संकाय में दो कोर प्रमुख/मेजर विषय का चयन समूह अ/समूह ब/समूह स से किया जा सकता है। 02 मेजर कोर विषय का चयन एक ही समूह से करने के पश्चात् मेजर इलेक्टिव का चयन अन्य संकाय या अन्य समूह से किया जाएगा। इस प्रकार एक ही समूह से दो मेजर कोर व एक मेजर इलेक्टिव का चयन नहीं किया जा सकता।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Physics	Botany	Chemistry
Mathematics	Zoology	Geology
	Biotechnology	Statistics
		Computer Science

वाणिज्य संकाय –

वाणिज्य संकाय के विषयों को तीन समूह में विभाजित किया गया है :

समूह अ	समूह ब	समूह स
Financial Accounting (Major Core own Faculty)	Business Regulatory Framework (Major Core own Faculty)	Business Organization & Management
		Business Communication (Major Elective per own faculty/other faculty)

✓ ✓

वाणिज्य संकाय में प्रवेशरत विद्यार्थी समूह अ, ब, स को मेजर कोर की तरह चयनित करेगा। विद्यार्थी दो मेजर कोर वाणिज्य संकाय से लेने के पश्चात् तीसरे मेजर इलेविट्य का चयन वाणिज्य संकाय के समूह स से अथवा अन्य संकाय से कर सकता है।

5. कौशल विकास पाठ्यक्रम

कौशल विकास/ रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय रत्नपर उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 09 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक-एक कौशल विकास कोर्स 12(3×4) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम के साथ पूर्ण करना होगा।

परिसर/ महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी।

6. सह-पाठ्यक्रम

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ: सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक-एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।


6.2 विद्यार्थी को हर सह-पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6.3 ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत होंगे:

प्रथम सेमेस्टर	:	संपर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्री मद भगवत् गीता में प्रबंधन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान/ वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान/ राम घरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के नाध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्ठम सेमेस्टर	:	भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार/ विवेकानन्द अध्ययन

7. शोध परियोजना

7.1 स्नातक/ स्नातकोत्तर (पी. जी. डी. आर.) स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से चारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।



7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडरिट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्व वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थानशोध संस्थान से लिया जा सकता है।

7.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध Report/Dissertation जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

7.5 स्नातक स्तर एवं पी. जी. डी. आर.के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी. जी. डी. आर.ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट

—
—
—

प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्ष बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

8.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

8.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B-L-E-) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

9. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

10. उत्तीर्णता प्रतिशत

10.1 Qualifying पेपर्स में qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not-qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

10.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit Course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

10.3 छ: सह पाठ्यक्रम कोर्स Co-curricular Course तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) qualifying है तथा इनके उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे।

10.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाहा) परीक्षा प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

10.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाहा परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

10.6 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स ध्येपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाहा परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

10.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक या बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

10.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।

11. कक्षान्नोति (Promotion)

11.1 विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

11.2 सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर तथा Qualifying Papers (सह-पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

11.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

12. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

12.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की सिध्ति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

12.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी।

12.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

12.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल वाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर के लिए ही उपलब्ध होगी।

—
—

B
✓

13. काल अवधि

13.1 किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation): यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नीं वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

14. SGPA एवं CGPA की गणना

14.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जाएगी :

semester के लिए $SGPA (S_j) = \frac{\sum (C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	यहाँ पर $C_i = \text{number of credits of the } i\text{th course in } j\text{th semester}$ $G_i = \text{grade point scored by the student in the } i\text{th course in } j\text{th semester}$
$CGPA = \frac{\sum (C_j \times S_j)}{\sum C_j}$	यहाँ पर $S_j = SGPA \text{ of the semester}$ $C_j = \text{total number of credits in the } j\text{th semester}$

14.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 9.5$$

विद्यार्थियों को निम्नवत् सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

क्रेडिट पैलिङ्गेशन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

यदि किसी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है परंतु किसी कारण वश में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

प्रवेश नियमावली एवं समय सारणी

विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेगा। समय सारणी निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को छुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके।

शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा क्षेत्र में न्यूनतम 90 कार्य दिवसों अर्थात् 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।



प्रवेश नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय—1 साधारण नियम :-

- 1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन/ऑफ लाइन (On Line/Off Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line/Off Line प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के On Line/Off line प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा काउसलिंग के उपरान्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line/Off Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1.4 On Line/Off Line माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑन लाईन/ऑफ लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपरिथ्त होना अनिवार्य होगा।
- 1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ—पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

- 1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में रक्खने तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय-परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप से प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई बाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माझे न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निरस्त कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्त संगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अर्थीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश

नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्ययाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

- 1.10 प्रवेशरत किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जोकि निम्नवत् हैं –

1. अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

1. महिलायें	30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3. दिव्यांग	04 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा।) उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली रो प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधाये प्रदत्त की जाएगी।	
(i)	Extension in date of admission upto 30 days	
(ii)	Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.	
(iii)	Waiving of domicile requirements.	
1.13	स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा –	
(क)	एन०सी०सी० 'बी', 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन	20 अंक
(घ)	जम्मू-कश्मीर में हैनात अर्द्ध-सेनिकों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई बहन	20 अंक
(ङ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक
	नोट— उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त	

— श. —

✓

अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अहंता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
- (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु –
प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त –
1. अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (शैक्षणिक अवरोध की दशा में योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
 2. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
- व्याख्या (Explanation) :- यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नी वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।
3. भविष्य में यूजी0सी0 अथवा एन0एच0ई0क्यूएफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।
- 1.16 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथील, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाद्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1.17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा

संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जोकि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्राक्थानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रेगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रेगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


कुलदीप सिंह 6/8/2021
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल